



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jadmn.cce@gmail.com

Ph. NO. 0141-2702247 (O)

क्रमांक:—एफ—1(06)पीएस / आकाशि / 2020 / पार्ट—I/ 4548
आदेश

दिनांक:— 06-10-2021

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 की प्रतीक्षा सूची में उत्तीर्ण निम्नलिखित अभ्यर्थी को प्रशासनिक सुधार (ग्रुप—3) विभाग, शासन संचिवालय, राजस्थान, जयपुर के द्वारा इस विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (**Probationer-Tranee**) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे—मेट्रिक्स लेवल संख्या—05 पर निम्नलिखित शर्तों पर एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है :—

नॉन टीएसपी

क्र. सं.	आरक्षित मेरिट नम्बर	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता (श्री / श्रीमती / सुश्री)	जन्मतिथि	वर्ग	अभ्यर्थी की फोटो	आवंटित जिला	नियुक्ति हेतु आवंटित महाविद्यालय / छार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4619	श्री अंकित मूथा पुत्र श्री ओमप्रकाश मूथा, मूर्थों की बारी के बाहर, माही दरवाजा के पास, नागौर (राज.) पिन-341001	07-06-1991	सामान्य		नागौर	राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं :—

1. राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देश हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुये अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित महाविद्यालय में पद का कार्यभार ग्रहण कर लें। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा। तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006, एफ—12(6)एफडी / रूल्स / 2005 दिनांक 13.03.2006, एफडी 13(1)एफडी / रूल्स / 2003 दिनांक 13.03.2006, एफ—6(6) एफडी / रूल्स / 2005 दिनांक 13.03.2006, एफ—16(2)एफडी / रूल्स / 98 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ—14(1) एफडी / रूल्स / 2009 दिनांक 12.10.2009 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यौन होगा। परीवीक्षा काल में कोई कटौतियां यथा जीपीएफ एवं एसआई नहीं की जायेगी।
4. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 13(1)वित्त / नियम / 2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ—11 / एसटी / एससी / ओबीसी एसबीसी / जा०प्र०प० / सामान्य अवि / 2015 / 54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक



20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 68999–69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा—निर्देशों / सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी ।

6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा ।
7. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सत्य हैं । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज / सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
9. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी ।
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा ।
11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेब्लन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे ।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे ।
13. सभी अथर्थवादीयों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है । अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी ।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक-2018 के लिये निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा ।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्मालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
16. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-15(1)डीओपी / ए-11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी ।

Tah
(संदेश नायक)
06/10/2021.

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

दिनांक: 06-10-2021

क्रमांक: एफ-1(06)पीएस / आकाशि / 2020 / 4548

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5- वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 6- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 7- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 8- प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर – कृपया अभ्यर्थी श्री अंकित मूढ़ा को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उनके द्वारा जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति, विवाह एवं सन्तान आदि के मूल कागजात पेश पर नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगे कागजातों की प्रतियों का मिलान करके ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जावे । इनका मूल आवेदन पत्र मय संलग्नकों की प्रति के संलग्न किया जा रहा है (संलग्न – एक सेट) ।
- 9- श्री अंकित मूढ़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश मूढ़ा, मूढ़ों की बारी के बाहर, माही दरवाजा के पास, नागौर (राज.) पिन-341001 – कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राचार्य महोदय को प्रस्तुत करें तथा नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगाये गये जन्मतिथि, योग्यता, जाति आदि के कागजातों की प्रतियों का मिलान करने हेतु मूल कागजात साथ लेकर जावे ।
- 10- स्थापना शाखा / गोपनीय शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 11- वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।
- 12- रक्षित पत्रावली ।

4

6.10.2021

(डॉ० केऽल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज्य, जयपुर ।